

न्यायालय: श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-674/2011
 संस्थित दिनांक-22.09.2011
 फाइलिंग क्र. 234503000252011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैहर,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- **अभियोजन**

// विरुद्ध //

1-छन्नू/धन्नू पिता मेहतर बिसेन, उम्र-23 वर्ष,
 निवासी-ग्राम परसामउ ठाकुरटोला, थाना गढ़ी,
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

2-मो. इरशाद शेख पिता मोहम्मद राजिक, उम्र-24 वर्ष,
 निवासी-ग्राम बिरसा, थाना बिरसा,
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

----- **आरोपीगण**

// निर्णय //

(आज दिनांक-05/12/2016 को घोषित)

1- आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 324/34, 506 भाग-2 के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-01.08.2011 को 16:35 बजे थाना बैहर क्षेत्रांतर्गत ग्राम मुक्की बेरियर में लोकस्थान या उसके समीप फरियादी उमेश को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया, आरोपीगण ने अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में सह आरोपी के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया और आहत उमेश को धारदार अस्त्र से मारकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की, फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-01.08.2011 को फरियादी उमेश महानंदा ने थाना बैहर आकर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि वह जिला कवर्धा छत्तीसगढ़ में रहता है और श्रीमती शारदादेवी, निवासी जिला कबीरधाम की बस क्रमांक-सी.एच-04 ई/1273 में 4 वर्षों से कंडक्टर का काम करता है। उक्त दिनांक को 4:35 बजे उनकी बस बैहर से मंगली के लिए निकलकर मुक्की गेट पर पहुंची, जहां बस के ड्राईवर राकेश नेताम ने इंट्री के लिए बस को रोका तो वह बस से उतरकर इंट्री करवाने के लिए चला गया। उसी बीच सोनी ट्रेवल्स की बस उनकी बस के पीछे खड़ी

हो गई। इंट्री करवाकर उसने ड्राइवर राकेश नेताम को बस आगे बढ़ाने के लिए कहा तब ड्राइवर ने बस को बेरियर के आगे रोका, तब पीछे खड़ी सोनी बस के ड्राइवर ने बस को उनकी गाड़ी के आगे कर तिरछी खड़ी कर दिया, तब उसने ड्राइवर राकेश नेताम को गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए कहा। गाड़ी को आगे बढ़ता देख सोनी बस के ड्राइवर बब्लू ठाकुर ने अपनी बस को उनकी बस के आगे आड़ी बस को खड़ा कर दिया। वह बस से उतरकर सोनी बस के कंडक्टर रज्जा के पास गया और कहा कि उनकी बस के आगे अपनी बस क्यों खड़ी कर दिये हो तो उसने कहा कि हमारी मर्जी हम जहां चाहें वहां अपनी बस खड़ी कर सकते हैं कहकर उसे मों-बहन की गंदी-गंदी गालियां देकर अपने हेल्पर धन्नु को बुलाया। हेल्पर धन्नु ने उसे कूदकर कमर में लात मारी, जिससे वह जमीन पर गिर गया, तब दोनों ने उसके साथ लात से मारपीट की, जिससे उसके चेहरे, टुड्डी, कान में चोट लगी थी। आरोपीगण ने उसे कहा कि अगर दोबारा उनके रास्ते में आया तो वे उसे जान से मार देंगे। फरियादी की उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-84/11 अंतर्गत धारा-294, 323, 506बी, 34 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। विवेचना के दौरान फरियादी की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया तथा साक्षियों के कथन लिये गये। विवेचना के दौरान आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 का ईजाफा किया गया तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 324/34, 506 भाग-2 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण चाहा है। आरोपीगण ने धारा धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपीगण ने अपनी प्रतिरक्षा में बचाव में साक्ष्य पेश नहीं की है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1- क्या आरोपीगण ने दिनांक-01.08.2011 को 16:35 बजे थाना बैहर क्षेत्रांतर्गत ग्राम मुक्की बेरियर में लोकस्थान या उसके समीप फरियादी उमेश को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?

2- क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर सामान्य आशय के अग्रसरण में सह आरोपी के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया और आहत उमेश आहत उमेश को धारदार वस्तु से मारकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की ?

3- क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 व 3 का निष्कर्ष :-

5- अभियोजन साक्षी राकेश नेताम अ.सा.1 ने यह कहा है कि वह दोनों आरोपीगण को जानता है। आरोपी ईरशाद ने उसे गालियां दी थी। आरोपीगण ने उसे कौनसी अश्लील गालियां दी थी, यह बात साक्षी ने नहीं कही है और न ही यह कहा है कि गालियां सुनकर उसे क्षोभ कारित हुआ था। अभियोजन साक्षी अमरोतिनबाई अ.सा.2 ने कहा है कि घटना दिनांक को वह बैहर से बैठकर गढ़ी जा रही थी। जैन बस का कंडक्टर सोनी बस के ड्राइवर को गाली दे रहा था, आरोपीगण कौनसी गाली दे रहे थे, यह बात साक्षी ने नहीं कही है। अभियोजन साक्षी काशीराम अ.सा.3 का कहना है कि घटना दिनांक को जैन बस तथा सोनी बस के कंडक्टर ने एकदूसरे को गंदी-गंदी माँ-बहन की गालियां दी थी। गालियां सुनकर उसे क्षोभ कारित हुआ था, यह बात साक्षी ने नहीं कही है। अभियोजन साक्षी अ.सा.4 ने भी अपने मुख्यपरीक्षण में यह कहा है कि जैन बस के ड्राइवर और सोनी बस के ड्राइवर का विवाद हुआ था, जैन बस का ड्राइवर गंदी गालियां दे रहा था, जो उसे सुनने में बुरी लगी थी। आरोपीगण कौन सी गालियां दे रहा था, यह बात साक्षी ने अपने कथन में नहीं कही है।

6- अभियोजन साक्षी गुलजार अ.सा.5 ने कहा है कि घटना दिनांक को दोनों बस के कंडक्टरों का आपस में झगड़ा होने लगा था। अभियोजन साक्षी उमेश अ.सा.6 कहा है कि घटना दिनांक को आरोपी छन्नू तथा ईरशाद ने उसे माँ-बहन की गंदी गालियां दी थी। गालियां सुनकर उसे क्षोभ कारित हुआ था, यह बात साक्षी उमेश ने भी अपने कथन में नहीं कही है। अभियोजन साक्षी जग्गू वाघाड़े अ.सा.7, रामभजन साहू अ.सा.8, डॉ.एन.एस. कुमारे अ.सा.9, महादेव अ.सा.10 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं, जिससे कि आरोपीगण द्वारा घटना दिनांक को फरियादी को तथा सुनने वालों को अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित किया जाना प्रमाणित हो रहा हो। उपरोक्त अभियोजन साक्षियों ने आरोपीगण द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी दिया जाना एवं धमकी सुनकर उन्हें आपराधिक अभित्रास कारित होने के कथन अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट नहीं किये हैं। उपरोक्त स्थिति में आरोपीगण द्वारा अश्लील गालियां उच्चारित कर फरियादी तथा अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया जाना तथा जान से मारने की धमकी देकर फरियादी को आपराधिक अभित्रास किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294 एवं 506 भाग-2 के अपराध के अंतर्गत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-2 का निष्कर्ष :-

7— अभियोजन साक्षी राकेश नेताम अ.सा.1 का कहना है कि वह घटना दिनांक को जैन बस का ड्राइवर था तथा उसी बस में उमेश उर्फ राजू कंडक्टर था। घटना दिनांक को करीब 4:00 बजे मुक्की गेट की है। सोनी बस के ड्राइवर ने उसकी बस के आगे अपनी बस खड़ी कर दी, ताकि उसकी बस आगे न बढ़ सकें। बस के कंडक्टर राजू ने अपनी बस हटाने के लिए कहा तो सोनी बस के हेल्पर धन्नू ने राजू को लात मारी थी। आरोपी धन्नू ने उमेश उर्फ राजू को लात मारी थी, जिससे उसे गाल पर चोट आई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि आरोपी को लामाझूमी में चोट आई थी। घटना के विषय में साक्षी उमेश अ.सा.6 ने कहा है कि घटना वर्ष 2011 शाम 4:30 बजे की है। आरोपी धन्नू ने दौड़कर उसे मारा था, जिससे उसे गाल पर चोट लगी थी और वह नीचे गिर गया था। उसने घटना की रिपोर्ट बैहर में दर्ज कराई थी, जो प्रदर्श पी-1 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटना के विषय में पूछताछ कर उसके बयान दर्ज किये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि दोनों आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की थी, जिससे उसे चोट आई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि घटना दिनांक को उसने गाली-गलौज की थी और विवाद किया था।

8— अभियोजन साक्षी अमरोतिन धुर्वे अ.सा.2 ने कहा है कि घटना दिनांक को सोनी बस के हेल्पर जिसका नाम धन्नू था ने जैन बस के कंडक्टर के साथ धक्का-मुक्की की थी। जैन बस के कंडक्टर को गेट से लगी किसी वस्तु से चोट आ गई थी। अभियोजन साक्षी काशीराम अ.सा.3 ने कहा है कि घटना उसके बयान देने के दो वर्ष पूर्व शाम 4:00 बजे की है। वह बैहर से सोनी बस में बैठकर जा रहा था। मुक्की गेट में जैन बस के कंडक्टर तथा सोनी बस के कंडक्टर, हेल्पर का विवाद हो रहा था। जैन बस का कंडक्टर जब बस में चढ़ रहा था, तब उसके पैर में चोट आई थी। आरोपीगण को फरियादी के साथ मारपीट करते हुए उसने नहीं देखा था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि आरोपीगण ने किसी धारदार वस्तु से फरियादी के साथ मारपीट की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि फरियादी को जो चोट आई थी वह बस में चढ़ने के दौरान पैर फिसल जाने के कारण आई थी।

9— अभियोजन साक्षी बल्लूसिंह अ.सा.4 ने कहा है कि वह आरोपीगण तथा फरियादी उमेश को जानता है। वह सोनी बस लगभग दो वर्ष से चलाता आ रहा है। घटना दिनांक को मुक्की गेट के सामने 4:15 बजे उनकी बस के सामने जैन बस के ड्राइवर ने अपनी बस को खड़ा कर दिया और जब वह अपना वाहन निकाल रहा था, तब जैन बस

का कंडक्टर गाड़ी में गाली-गलौज कर विवाद कर रहा था। साक्षी ने स्वीकार किया कि आहत उमेश के साथ मारपीट नहीं हुई थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना के समय सोनी बस तथा जैन बस के हेल्पर व कंडक्टर के बीच विवाद हुआ था। आरोपीगण ने फरियादी उमेश के साथ गाली-गलौज कर धक्का-मुक्की की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि जैन बस के कंडक्टर (आहत उमेश) ने ही वाद-विवाद किया था और फरियादी द्वारा ही आरोपी को गंदी-गंदी गालियां दी गई थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि फरियादी/आहत उमेश जब बस में बैठने का प्रयास कर रहा था, तब वह नीचे गिर गया, जिससे उसे चोट आई थी।

10— अभियोजन साक्षी गुलजार अ.सा.5 ने कहा है कि वह आरोपीगण को जानता है, फरियादी को नहीं जानता। घटना दिनांक को सोनी बस तथा जैन बस के कंडक्टर का झगड़ा हुआ था और दोनों के बीच विवाद हुआ था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना दिनांक को फरियादी उमेश के साथ आरोपी धन्नु तथा ईरशाद ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने आरोपीगण को मारपीट करते नहीं देखा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि पुलिसवालों ने उसके बयान उसे पढ़कर नहीं सुनाए थे।

11— अभियोजन साक्षी महादेव अ.सा.10 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता। उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। उसके सामने जप्ती की कोई कार्यवाही नहीं हुई और न ही आरोपीगण को उसके सामने गिरफ्तार किया गया था। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-4, गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-5 एवं प्रदर्श पी-6 पर उसने हस्ताक्षर नहीं किये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने उसके समक्ष आरोपीगण से लोहे की चादर, टीन की बस की टिकट बुक जप्त होने से इंकार किया है। साक्षी ने आरोपीगण को उसके समक्ष गिरफ्तार किये जाने से भी इंकार किया है।

12— अभियोजन साक्षी जग्गू वाघाड़े अ.सा.7 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-01.08.2011 को थाना बैहर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। फरियादी उमेश महानंदा की सूचना पर अपराध क्रमांक-84/2011, अंतर्गत धारा-294, 323, 506बी, 34 भा.द.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट आरोपीगण के विरुद्ध दर्ज किया था, जो प्रदर्श पी-1 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आहत का मुलाहिजा फार्म भरकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर भिजवाया था, जो प्रदर्श पी-3 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने फरियादी से मिलकर आरोपीगण के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट लेख की थी।

13— अभियोजन साक्षी रामभजन साहू अ.सा.8 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-02.08.2011 को थाना बैहर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक-84/11, अंतर्गत धारा-294, 323, 506बी, 34 भा.द.वि. की प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-1 विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटनास्थल का नजरीनक्शा फरियादी उमेश महानंदा की निशानदेही पर तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही फरियादी उमेश, साक्षी राकेश, छोटू उर्फ मनीष, अमरोतिनबाई, काशीराम, बब्लूसिंह, गुलजारसिंह के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। उसने आरोपी ईरशाद शेख से एक लोहे की चादर लगी हुई बस की टिकिट बुक कवर साक्षियों के समक्ष जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-4 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-5 एवं प्रदर्श पी-6 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया कि उसने मौकानक्शा थाने पर बैठकर बनाया था तथा गवाहों के बयान अपने मन से लेख कर लिये थे।

14— अभियोजन साक्षी डॉक्टर एन.एस. कुमरे अ.सा.9 का कहना है कि वह दिनांक-01.08.2011 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में पदस्थ था। उक्त दिनांक को बैहर के आरक्षक रामसिंह द्वारा आहत उमेश को उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसका परीक्षण करने पर उसने आहत के चेहरे के बाएं तरफ एक चोट पाया था। साक्षी ने अभिमत में कहा है कि आहत को आई चोट कड़ी एवं धारदार वस्तु से आ सकती थी, जो उसके परीक्षण करने के आठ घंटे के अंदर की थी। आहत की परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि आहत को गिरने से चोट नहीं आई थी।

15— यदि अभियोजन कहानी को सूक्ष्मता से देखा जाए तो घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 में इस बात का उल्लेख नहीं है कि आरोपीगण ने किसी धारदार वस्तु से फरियादी के साथ मारपीट की थी। अभियोजन साक्षी राकेश नेताम अ.सा.1, उमेश अ.सा.6 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में आरोपीगण द्वारा किसी धारदार वस्तु से चोट कारित करने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किये हैं, इसलिए यह बात नहीं मानी जा सकती कि आरोपीगण ने अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी/आहत उमेश को धारदार हथियार से चोट कारित की थी। घटना के विषय में साक्षी राकेश नेताम अ.सा.1 ने कहा है कि घटना के समय आहत उमेश को चोट विवाद के समय आई थी, जबकि अभियोजन साक्षी अमरोतिन धुर्वे अ.सा.2 ने कहा है कि धक्का-मुक्की हुई थी और आहत को बस में लगी किसी वस्तु से चोट आई थी। घटना के चक्षुदर्शी साक्षी काशीराम अ.सा.3 ने कहा है कि आहत जब बस के उपर चढ़ रहा था, तब उसके पैर में चोट आई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया कि पैर फिसल जाने के कारण आहत गिर गया था

और उसे चोट आई थी। अभियोजन कहानी के विपरीत साक्षी बब्लूसिंह अ.सा.4 ने यह कहा है कि जैन बस के कंडक्टर, फरियादी/आहत उमेश ने ही वाद-विवाद किया था। साक्षी ने यह भी कहा है कि आहत उमेश जब बस में बैठने का प्रयास कर रहा था, तब वह फिसल गया था और वह नीचे गिर गया था, जिससे उसे चोट आई थी। अभियोजन साक्षी गुलजार अ.सा.5 ने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि उसने आरोपीगण को आहत उमेश को मारते हुए नहीं देखा था। मौके पर जो साक्षी उपस्थित थे, उनके द्वारा यह कहा गया है कि वाद-विवाद हुआ था, परंतु आहत को चोट बस में बैठते समय पैर फिसल जाने से नीचे गिर जाने के कारण आई थी। उपरोक्त स्थिति में आरोपीगण द्वारा फरियादी उमेश के साथ मारपीट किये जाने के तथ्य प्रकट नहीं हो रहे हैं। अभियोजन साक्षी काशीराम अ.सा.3 ने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि आरोपीगण ने फरियादी के साथ मारपीट नहीं की थी और यह बात वह इसलिए बता सकता है क्योंकि वह घटनास्थल पर उपस्थित था। उपरोक्त अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य से यह संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो रहा है कि आरोपीगण द्वारा किसी धारदार वस्तु से आहत को स्वेच्छया उपहति कारित की गई हो। ऐसी स्थिति में आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324/34 के अपराध के अंतर्गत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

16— प्रकरण में आरोपीगण न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहें हैं। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

17— प्रकरण में आरोपीगण की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा 437(क) के पालन में आज दिनांक से 06 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

18— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक लोहे की चादर लगी बस की टिकट बुक मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट की जावे, अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया। मेरे निर्देश पर टंकित किया।

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)